रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022020-216284
CG-DL-E-20022020-216284

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/फाल्गुन 1, 1941
No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/PHALGUNA 1, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

सं.एच.आर.डी./1(1)/2011/कैडर रिस्ट्रक्चरिंग /भाग-II.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (प्रवर श्रेणी लिपिक), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, भर्ती नियम 2008 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़े गए के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-**

   1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वरिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

   2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल, वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति-**

जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के साथ परामर्श कर तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति –**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ सचिवालय सहायक	16* (2019) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25,500-81,000 रूपये) वरिष्ठ सचिवालय सहायक, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-06 (35,400-1,12,400 रूपये) में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में प्लेसमेंट के पात्र होंगे बशर्ते कि इस ग्रेड में कुल संख्या, स्वीकृत संख्या के 30% तक सीमित होगी ।	गैर-चयन पद

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 75% पदोन्नति द्वारा, (ii) 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
(i) **पदोन्नति द्वारा :** इन रिक्तियों को इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जिन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाए। (ii) **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा** (एल.डी.सी.ई) **द्वारा पदोन्नति :** इन रिक्तियों को इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ सचिवालय सहायक के एल.डी.सी.ई द्वारा पदोन्नति से भरा जाए।	पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें शामिल हैं:- i. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा प्रभाग) - अध्यक्ष ii. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (प्रशासनिक सेवा प्रभाग) - सदस्य iii. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बाहर के केन्द्र सरकार के विभाग या संगठन से समुचित ग्रेड का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं।

सुनील बड़थ्वाल केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./462/19]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2020

No. HRD/1(1)2011/Cadre Restructuring/Vol.II.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952) and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Upper Division Clerks, EPF Organisation (Headquarters) Recruitment Rules, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board, Employees' Provident Fund, hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Secretariat Assistant in Employees' Provident Fund Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement**.—

   (1) These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Senior Secretariat Assistant, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification, and level in the pay matrix.**—The number of said posts, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**

   Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**
Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Secretariat Assistant	16*(2020) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-04 in the Pay Matrix [Rs.25,500-81,100] Senior Secretariat Assistant shall be eligible for placement in the Non-Functional Selection Grade in level-06 in the pay matrix [Rs.35,400-1,12,400] on completion of five years of regular service as Senior Secretariat Assistant subject to the condition that the total number in the grade will be restricted to 30% of the sanctioned strength.	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 75% by Promotion. (ii) 25% by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By promotion: By Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit from Junior Secretariat Assistant having rendered eight years of regular service in the grade. **By promotion through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE):** By promotion through LDCE of Junior Secretariat Assistant having rendered five years of regular service in the grade.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Additional Central Provident Fund Commissioner (Administrative Service Division) – Chairman; (2) Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I (Administrative Service Division) – Member; (3) An officer of appropriate grade from Central Government Departments or Organisation outside Employees' Provident Fund Organisation– Member.	Not Applicable.

SUNIL BARTHWAL,Central Provident Fund Commissioner and Secy,
Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./462/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.20 18:58:04 +05'30'